

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक: प.2(3)रामले/स्था/एसीपी/2018/1579

दिनांक: 30/12/2020

--: आदेश संख्या- 10/2020 :-

वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ.15 (1) एफ.डी.रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसरण में निम्नांकित सहायक राजस्व लेखाधिकारी ग्रेड द्वितीय एवं तहसील राजस्व लेखाकार जिन्होंने तहसील राजस्व लेखाकार के पद पर उनके नाम के सामने अंकित कॉलम संख्या 5 में अंकित दिनांक को कार्यग्रहण किया था जिन्होंने 18 / 27 वर्ष एवं अधिक की सेवा निरन्तर एवं संतोषजनक पूर्ण कर ली है को उनके नाम के सामने अंकित कॉलम संख्या 07 में उल्लेखित दिनांक से तहसील राजस्व लेखाकार के पद की द्वितीय/तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) सातवें वेतन आयोग अनुसार कॉलम संख्या 8 में अंकित पे लेवल में एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम कार्मिक मय पिता का नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापन	त0रा0ले0 पद पर नियमित नियुक्ति	18/27 वर्ष पूर्ण करने की तिथि	ए.सी.पी. स्वीकृत करने की तिथि	सातवें वेतन आयोग में पे लेवल
1	2	3	4	5	6	7	8
तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) लेवल-13							
1	श्री रामेश्वर लाल	सहा. राजस्व लेखाधिकारी ग्रेड-1	कलेक्ट्रेट झालावाड	29-09-93	28.09.20(III)	29.09.20(III)	एल-13
2	श्री कैलाश सिंह राठौड	तहसील राजस्व लेखाकार	कलेक्ट्रेट बीकानेर	02-09-93	01.09.20(III)	02.09.20(III)	एल-13
द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) लेवल-12							
1	श्रीमति पुष्पा जैन	तहसील राजस्व लेखाकार	कलेक्ट्रेट दौसा	20-03-01	19.03.19(II)	20.03.19(II)	एल-12

उपरोक्त में जिन कार्मिकों के वांछित कार्य-मूल्यांकन प्रतिवेदन नियमानुसार प्राप्त नहीं हुए हैं उनके वित्त विभाग के मेमोरेण्डम क्रमांक प.14 (88) वित्त/नियम/2008 दिनांक 04.11.2016 द्वारा स्पष्टीकरण के आधार पर गत 07 में से जितने वर्षों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन कम थे उतने गत दो वर्षों की प्राप्त एवं शेष आगामी वर्षों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों की प्राप्ति के आधार पर उक्त ए.सी.पी.स्वीकृत किया जाता है ।

उपरोक्त कार्मिकों का वेतन निर्धारण, वित्त विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.10.2017 के नियम 14 सहपठित अनुसूची VI के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि :-

1. पुनरीक्षित वेतनमान सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।
2. पूर्व में द्वितीय/तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृत नहीं की गई है।
3. इनके विरुद्ध कोई विभागीय अथवा फौजदारी जाँच का प्रकरण लम्बित/प्रस्तावित/विचाराधीन नहीं है।
4. पिछले वर्षों में निरन्तर वार्षिक वेतनवृद्धियाँ मिलती रही है।

इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से संबंधित कार्मिक की सेवापुस्तिका में की जावे।

चयनित वेतन श्रृंखला स्वीकृत करने से कार्मिक की वरिष्ठता एवं केडर स्ट्रेन्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(नम्रत वृष्णि)
निबंधक

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
दिनांक: /12/2020

क्रमांक: सम/ 1580-90

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. निजी सचिव माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
2. निजी सहायक- निबंधक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
4. अति.निबंधक (प्रशासन)/गोपनीय/वि.जांच राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
5. जिला कलेक्टर झालावाड/ बीकानेर /दौसा
6. मुख्य लेखाधिकारी (आय) राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर
7. प्रभारी अधिकारी (बिल्स)राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ।
8. संयुक्त निदेशक (एस.ए.)राजस्व मण्डल अजमेर को मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
9. श्री स.रा.ले.ग्रेड-1/टी.आर.ए. द्वारा जिला कलेक्टर.....
10. आदेश/निजी पंजिका।

अतिरिक्त निबंधक(वित्त एवं लेखा)
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर